Jayant/Kotdwar/ June 12, 2012

मानकों की अनदेखी कर रही थी औद्योगिक आस्थान जशोधरपुर स्थित फैक्ट्रियां

●जांच रिपोर्ट से ग्रामीणों में उत्साह तो फैक्ट्री मालिकों में छाई मायूसी
●ग्रामीणों ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से की कार्यवाही की मांग
●पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिया तीन माह के भीतर कार्यवाही करने का आश्वासन

कोटद्वार (प्रतिनिधि)। पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति जशोधरपुर की बैठक में पर्यावरण के क्षेत्रीय प्रबंधक ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर तीन माह के भीतर

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व सेंटर फॉर साइंस एंड इनवॉयरमेंट (नई दिल्ली) द्वारा विगत मार्च माह के अंतिम सप्ताह में जशोधरपुर औद्योगिक आस्थान में प्रदूषण की जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बैठक में पर्यावरण व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड औद्योगिक आस्थान की फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

भाबर क्षेत्र के अंतर्गत किशनपुर स्थित एक वैडिंग प्वाइंट में आयोजित बैठक में सेंटर फॉर साइंस एंड इनवॉयरमेंट (नई दिल्ली) द्वारा विगत 24 से 27 मार्च तक जशोधरपुर औद्योगिक आस्थान में प्रदूषण की जांच की रिपोर्ट रखी गई। सेंटर फॉर साइंस एंड इनवॉयरमेंट (नई दिल्ली) महानिदेशक चंद्र भूषण ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि औद्योगिक आस्थान की फैक्ट्रियां गैर कानूनी तरीके से चल रही हैं। रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि फैक्ट्रियों द्वारा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे आमजन के स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि फैक्ट्रियों द्वारा मानकों के अनुरूप तकनीकी का प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है।

जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समय-समय पर निरीक्षण करना चाहिए। औद्योगिक आस्थान परिसर में जमा स्लग को हटाया जाना चाहिए। साथ ही नदियों में स्लग को नहीं गिराया जाना चाहिए, क्योंकि यह हाथी कोरिडोर क्षेत्र है। स्लग का प्रयोग सीमेंट व मार्ग निर्माण में किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मियों को भी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। फैक्ट्रियों के पास केवल स्थापना के दौरान फैक्ट्रियां स्थापित करने का ही लाइसेंस है। फैक्ट्रियों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस तक नहीं लिया गया है। फैक्ट्रियों में प्रदूषण नियंत्रण टेक्नोलॉजी का डिजाइन भी सही नहीं है, जिससे प्रदूषण बढ़ना स्वाभाविक ही है। रिपोर्ट में कहा गया कि 2008 के बाद औद्योगिक आस्थान में अवस्थित फैक्ट्रियां गैरकानूनी तरीके से चल रही हैं। फैक्ट्रियों द्वारा पानी के लिए अपने-अपने मिनी नलकूप लगाए गए है, लेकिन फैक्ट्रियां भूमिगत जल का कितना विदोहन कर रही है। इसके लिए मीटर लगाए जाने चाहिए, ताकि क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर किसी तरह प्रभावित न हो। श्री चंद्रभूषण का कहना था कि संस्था द्वारा निष्पक्ष जांच की गई है व इससे सभी को संतुष्ट होना चाहिए। बैठक में उन्होंने ग्रामीणों, फैक्ट्री मालिकों, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व स्थानीय प्रशासन को भी रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध कराई। जांच टीम में शामिल पर्यावरण विशेषज्ञ सुगंध जुनेजा ने कहा कि हमने अपनी जांच रिपोर्ट पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंप दी है। आगे क्या कार्यवाही करनी है यह बोर्ड ही तय करेगा। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक वीके जोशी ने कहा कि ग्रामीणों के कहने पर पूर्व में भी तीन माह फैक्ट्रियों को बंद रखा गया। उन्होंने जांच रिपोर्ट शासन को भेजकर तीन माह के भीतर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए टेक्नोलॉजी विकसित करने के साथ ही औद्योगिक आस्थान में इन्फ्रास्टक्चर विकसित करने की संस्तुति की जाएगी। इस मौके पर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अवर अभियंता अमित पोखरियाल, अखिल भारतीय किसान सभा के जिला संयोजक ज्ञान सिंह नेगी, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के अध्यक्ष मदनमोहन कुकरेती, सचिव तुषार नैथानी, सुरेंद्र सिंह रावत, सरोज देवी, शैलेश शैलेंद्र डबराल, शिब्बू डबराल, मनीष भट्ट, फैक्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारी आदि मौजूद रहे।

जायज थी ग्रामीणों की लड़ाई

कोटद्वार। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा विगत 24 नवंबर से औद्योगिक आस्थान में चलाया गया आंदोलन गलत नहीं था। इस बात का खुलासा सोमवार को सेंटर फॉर साइंस एंड इनवॉयरमेंट (नई दिल्ली) की जांच रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है।

बताते चलें कि पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति विगत लंबे समय से जशोधरपुर स्थित औद्योगिक आस्थान में अवस्थित फैक्ट्रियों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों की अनदेखी का आरोप लगाती आ रही हैं। समिति का तो यहां तक कहना था कि फैक्ट्रियों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से क्षेत्र में स्वांस व त्वचा संबंधी बीमारियां फैल रही हैं। इस बीच समिति के बैनर तले ग्रामीणों की ओर से कई बार आंदोलन किए गए। विगत 24 नवंबर 2011 को ग्रामीणों ने औद्योगिक आस्थान में धरना-प्रदर्शन किया व दो दिसंबर से औद्योगिक आस्थान में चक्का जाम कर दिया। इस बीच फैक्ट्री मालिकों व ग्रामीणों के बीच मारपीट भी हुई व मामला कोतवाली तक जा पहुंचा। स्थानीय प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद विगत 8 दिसंबर 2011 को ग्रामीणों व स्थानीय प्रशासन के बीच समझौता हुआ। इस दौरान सेंटर फॉर साइंस एंड इनवॉयरमेंट (नई दिल्ली) से जांच पर सहमति बनी। समझौते के बाद भी ग्रामीणों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। लेकिन 24 दिसंबर 2011 को विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद ग्रामीणों ने धरना-प्रदर्शन स्थगित कर दिया। सोमवार को सेंटर फॉर साइंस एंड इनवॉयरमेंट (नई दिल्ली) की जांच रिपोर्ट से साबित हो गया है कि ग्रामीणों की लड़ाई जायज थी और वास्तव औद्योगिक आस्थान में अवस्थित फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों की अनदेखी कर क्षेत्र के आमजन के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

क्या कहते हैं ग्रामीण

सेंटर फॉर साइंस एंड इनवॉयरमेंट (नई दिल्ली) की जांच रिपोर्ट से समिति पूरी तरह संतुष्ट है। जांच रिपोर्ट ग्रामीणों की पक्ष में आना निश्चित ही ग्रामीणों की जीत है। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी जांच रिपोर्ट के आधार पर अविलंब कार्यवाही करनी चाहिए। बोर्ड यदि कार्यवाही नहीं करता है तो ग्रामीण न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को बाध्य होंगे।
... शिब्बू डबराल ग्रामीण जशोधरपुर।

यदि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की तो समिति उग्र आंदोलन को बाध्य होगी।
...तुषार नैथानी सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति जशोधरपुर।

वर्ष 2008 से औद्योगिक आस्थान में फैक्ट्रियां गैर कानूनी तरीके से संचालित हो रही थी। बावजूद इसके पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोई कार्यवाही न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच रिपोर्ट आने के बाद बोर्ड को दिशा में कार्यवाही करनी चाहिए।
...मदनमोहन कुकरेती अध्यक्ष, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति जशोधरपुर।